उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–03

संख्या– —/III(1)/2020–02(16)/जांच/2020

देहरादूनः दिनांक 21 जुलाई, 2020

## कार्यालय–ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सड़क मार्गों, सेतुओं, अनुरक्षण कार्यों आदि से सम्बन्धित विभिन्न अनियमित्ता सम्बन्धी विभिन्न जांच विषयक प्रकरणों के परीक्षण से यह तथ्य संज्ञानित हो रहे हैं कि कार्यों हेतु उत्तरदायी अभियन्ताओं द्वारा अधिप्राप्ति नियमों के इतर स्वयं के स्तर से ही अल्पकालीन निविदाओं का आमंत्रण, निर्धारित कार्य के लिये अवमुक्त धनराशि को अन्य कार्यों में व्यय किया जाना तथा अधिप्राप्ति हेतु समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2. अधिप्राप्ति नियमों का पालन न होने से विभिन्न प्रकरणों पर महालेखाकार की ऑडिट आपत्ति होना स्वाभाविक है। ऑडिट आपत्ति से प्रकरणों के अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है तथा राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

3. इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अन्तर्गत व्यवहरित किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों तथा तद्विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी कार्य के लिये अपरिहार्य रूप से अधिप्राप्ति नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता हो, ऐसे प्रकरणों को अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को संदर्भित किया जायेगा।

4. उक्त निर्देशों का विभाग स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

**संख्या–1017/III(1)/2020–02(16)/जांच/2020 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

P.T.O

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन पत्र संख्या- 429 /24 लो०नि०वि०/20 दिनांक- /7/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा०मा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/ए०डी०बी० पी०एम०यू० लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/हल्द्वानी।

2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता ..........वृत्त लो०नि०वि०........ को शासकीय पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ खण्डीय कार्यालयों को भी उपलब्ध कराने हेतु।

3- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

4- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियोजन-1 वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।

5- गार्ड पत्रावली हेतु।

23/07/20

(अधिशासी अभियन्ता)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून